ग्राम पंचायत झाल्टा, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग–एक

1 **{क} प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/ 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत झाल्टा, विकास खण्ड जुब्बल–कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीरा देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति प्रोमिला रांग्टा	23.1.16 से लगातार

सचिवः–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बृज मोहन	29.7.12 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत झाल्टा के लेखाओं अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	9	पंचायत राजस्व गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.08
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	15.03
3	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.74
4	12	निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करना	0.15
5	13	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	0.30
6	14(क)	एक ही लेखा शीर्ष पर अनियमित व्यय करना	16.98
7	15	अग्रिम राशि का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन न करना	0.19

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत झाल्टा विकास खण्ड जुब्बल—कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2016 से 26.11.16 व 30.11.16 से 1.12.16 तक ग्राम पंचायत, झाल्टा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 9/13, 8/14, 11/15 व 10/13, 7/14, 12/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत झाल्टा विकास खण्ड जुब्बल—कोटखाई जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 5 दिनांक 1.12.2016 द्वारा सचिव, पंचायत झाल्टा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत झाल्टा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :—

{क} स्व स्त्रोत व विविध अनुदानः— ग्राम पंचायत झाल्टा के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान (मनरेगा, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति व 14वां वित्त आयोग को छोड़कर) की वित्तीय का **''परिशिष्ट—क''** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है ।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति व 14वां वित्त आयोग को छोड़कर) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांक्ति करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ वही में लेखांक्ति स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger

Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	1856114.98	1098461	2954575.98	1286360	1668215.98
2014-15	1668215.98	1545643	3213858.98	1860344	1353514.98
2015-16	1353514.98	1413027	2766541.98	1623105	1143436.98

नोटः– रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः रोकड बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

{ख} अनुदानः– ग्राम पंचायत झाल्टा के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों (मनरेगा, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति व 14वां वित्त आयोग) की वित्तीय स्थिति का **''परिशिष्ट–क''** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मनरेगा:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	189905	763455	953360	953360	0
2014-15	0	513287	513287	510162	3125
2015-16	3125	329112	332237	332237	0

स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (एल०ए०डी०सी०):-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	192211	43199	235410	95843	139567
2014-15	139567	2106584	2246151	1692000	554151
2015-16	554151	9276	563427	397600	165827

14वां वित्त आयोग:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	0	193545	193545	0	193545

नोटः— रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) लिया गया है।

5 (क) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है। जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड वही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹13039.00 का अन्तर पाया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना सं0 03 दिनांक 30.11.2016 की अनुपालना में **(परिशिष्ट—ख)** पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में ₹8175 की राशि का समाधान किया जाना शेष था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अतः नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अन्तशेष के शेष अन्तर ₹8175.00 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाएः—

कम सं0	**विवरण**		**राशि**
1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष		1502808.98
	(i) स्व—स्त्रोत व विविध अनुदान पैरा 4(क)	1143436.98	
	(ii) मनरेगा, स्थानीय क्षेत्र विकास समिति व 14वां वित्त आयोग पैरा 4 (ख)	0 165827 193545	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट—ग)**		**1489769.98**
		अन्तर	**13039**

(ख) अन्तर के कारणः—

1	रोकड वही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष		**1502808.98**
	(—) सामान्य निधि की रोकड वही अनुसार हस्तगत राशि	(—)19518	(—)**13039**
	(—) स्थानीय क्षेत्र विकास समितिकी रोकड बही अनुसार हस्तगत राशि	(—)14	

सामान्य निधि से चैक सं0 7588316 जोकि दिनांक 30.3.16 को जारी किया गया था और दिनांक 31.3.16 तक भुनाया नहीं गया (दिनांक 6.4.16 को बैंक ने भुनाया)	14668	
राशि जिसका समाधान नहीं किया गया	(–)**8175**	
बैंक खातों के अनुसार शेष		**1489769.98**

6 निवेशः–

सचिव ग्राम पंचायत थाना द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 रोकड वही व बैंक खातों का नियमानुसार रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की स्व–स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता–''क'' व खाता–''ख'') खोले जाने का प्रावधान है। खाता–''क'' में पंचायत के स्व–संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता–''ख'' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत झाल्टा में चार रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा 7 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बिहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जानें बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख–रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, आरेखण, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके कारण चयनित मासों में किये गये लाखों रूपये के निर्माण कार्यां की पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी। मनरेगा से सम्बन्धित एक माप पुस्तिका सं0 11826 प्रस्तुत की गई परन्तु इसमें भी खपत सामग्री की assessment नहीं की गई थी। सामान्य कार्य की माप पुस्तिका अंकेक्षण में नहीं दिखाई गई। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि सामान्य निधि से सम्बन्धित ₹1.50 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः व्यय हेतु चयनित मासों में उक्त तकनीकी अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाऐ। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख–रखाव व्यवस्थित/क्रमबद्व तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रूपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.08 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित **परिशिष्ट–घ** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹7650 की राजस्व वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

उक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट–घ** में दिये गए विवरणानुसार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक बी0एस0एन0एल0 का मोबाईल टावर स्थापित है परन्तु पंचायत के पास स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क बारे अभिलेख पूर्ण नहीं है। अतः उक्त मोबाईल टावर की स्थापना से लेकर उसका नवीनीकरण शुल्क बारे पूर्ण अभिलेख तैयार करके समस्त बकाया राशि को बी0एस0एन0एल0 से वसूल करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹15.03 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 को अनुदानों की कुल ₹1502808.98 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों से सम्बन्धित आय–व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय–व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि खाता–'क' व खाता–'ख' के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व–स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹4.74 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'ड.'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹474400 के स्टोर/स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 निर्माण सामग्री से ₹0.15 लाख के voids की कटौती न करना :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **''परिशिष्ट–च''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹14694 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

13 ₹0.30 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 72(1) (ए0 से डी0) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। सचिव पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय–समय पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया, कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी, जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षाणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखों रूपये के स्थायी व अस्थाई स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹30000 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–''छ''** में दिया गया है,का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपतिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरूपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

14 (क) ₹16.98 लाख का एक ही लेखा शीर्ष पर अनियमित व्यय करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ''स्थानीय क्षेत्र विकास निधि'' (LADC) ''खाता निर्माण मन्दिर/सौंदरीकरण गुडारू देवता, झाल्टा में अंकेक्षणाधीन अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान कुल ₹1697600 का व्यय किया गया जिसका विवरण **''परिशिष्ट–ज''** पर दिया गया है। उपरोक्त व्यय किन नियमों अथवा दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है, का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत द्वारा इतनी अधिक राशि को एक ही लेखा शीर्ष पर व्यय करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है व इससे पंचायत के अन्य मूलभूत विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। अतः उपरोक्त खाते में पंचायत द्वारा इतना अधिक

व्यय करने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा व्यय से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) ₹8.50 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि "स्थानीय क्षेत्र विकास समिति" (LADC) से खाता निर्माण/सौंदरीकरण मन्दिर गुडारू देवता, झाल्टा में चयनित मास 7/14 में कुल ₹850000 का व्यय निम्न विवरणनुसार किया गया थाः–

क्रम सं0	बिल संख्या दिनांक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	मद	राशि
1	607044/18.7.14	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूति निगम लि0 जुब्बल	200 बैग सीमेंट	51000
2	2389/1.7.14	ठाकुर हार्डवेयर रोहडु	स्टील	332450
3	10664/14.7.14	मै0 लक्ष्मी स्टोर क्रैशर, कुडु	रेत व रोडी	100250
4	9411 6/14	मस्ट्रोल	––	114150
5	2393/4.7.14	ठाकुर हार्डवेयर रोहडु	स्टील	138700
6	9412 6/14	मस्ट्रोल	––	113450
			योग	**850000**

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां पाई गईः–

(1) उपरोक्त व्यय किन नियमों अथवा दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया गया था का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत द्वारा इतनी अधिक राशि को एक ही लेखा शीर्ष पर व्यय करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है व इससे पंचायत के अन्य मूलभूत विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। अतः उपरोक्त खाते में पंचायत द्वारा इतना अधिक व्यय करने बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये तथा व्यय से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

(2) उपरोक्त कार्य हेतु ₹799000 का चैक सं0 5694566 दिनांक 18.7.14 व ₹51000 का चैक सं0 5694567 दिनांक 18.7.14 द्वारा मन्दिर कमेटी को भुगतान हेतु जारी किए गए थे। परन्तु जांच करने पर पाया कि मन्दिर कमेटी द्वारा पंचायत से राशि प्राप्त होने से पूर्व ही ₹850000 की राशि का पंचायत में प्रस्तुत उपरोक्त बिल/वाउचर द्वारा व्यय कर लिया गया था क्योंकि उक्त

चैक क्रमशः दिनांक 23.7.14 व 9.10.14 को बैंक से भुनाये गए थे। अतः स्पष्ट किया जाये कि पंचायत से राशि प्राप्त होने से पूर्व मन्दिर कमेटी द्वारा किस स्त्रोत से व्यय किया गया।

(3) अध्यक्ष, मन्दिर कमेटी द्वारा उपरोक्त ₹850000 के बिल/वाउचर सत्यापित नहीं किये गये थे जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाये व अभिलेख का अपेक्षित सत्यापन सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(4) उक्त कार्य की तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे चयनित मास में किए गए ₹8.50 लाख के व्यय की अंकेक्षण में पूर्ण जांच सम्भव न हो सकी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अपेक्षित तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना अनियमित ही नहीं अपतु आपतिजनक भी है। इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **6**7(4) व 67(5) के अनुसार व्यय करने से पूर्व निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण नहीं की गयी थी जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है तथा इससे बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः इस सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुये इस अनिसमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त नियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

15 ₹ 0.19 लाख की अग्रिम राशि का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन न करनाः—

सामान्य रोकड वही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.13 को पूर्व प्रधान श्रीमति लीला महाजन को ₹19166 की राशि बतौर हस्तगत दिखाई गई थी जोकि दिनांक 31.3.2016 को भी हस्तगत राशि के रूप में उक्त रोकड़ वही में दर्ज है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त राशि वर्ष 2004—05 से उक्त पूर्व प्रधान के नाम हस्तगत राशि के रूप में दर्ज है। हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के अनुसार प्रधान को हस्तगत राशि रखने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः उक्त राशि को इतने अधिक समय से समायोजन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अब इसकी वसूली ब्याज सहित शीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

16 **₹0.54 लाख के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियो/कर्मचारियों को भुगतान बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा चयनित मासों में ग्राम पंचायत के पंचगण व चौकीदार को निम्न विवरणानुसार ₹53850 का मानदेय/वेतन का भुगतान किया, परन्तु मानदेय/वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत द्वारा कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम सं0	माह	विवरण	अवधि	रोकड वही पृष्ठ सं0	राशि
1	10/13	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	1/13 से 6/13	134	29950
2	10/13	वेतन चौकीदार	7/13 से 9/13	134	4950
3	10/13	भत्ता पंचायत चौकीदार	7/13 से 9/13	134	450
4	12/15	वेतन सिलाई अध्यापिका	––	30	2000
5	12/15	मानदेय पंचायत पदाधिकारी	7/15 से 9/15	30	16500
				योग	**53850**

17 **₹1.00 लाख की आबंटित राशि के स्वीकृति पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–**

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास 10/13 में पाया गया कि निम्न लाभार्थीयों को सामान्य निधि से अटल आवास योजना, राजीव आवास योजना और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹100000 की राशि जारी की गयी। परन्तु इस राशि के व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर, सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का ''स्वीकृति पत्र'' व कार्य निष्पादित उपरान्त अपेक्षित ''उपयोगिता प्रमाण पत्र'' अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की अंकेक्षण में पूर्ण जांच न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत कियाजाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	योजना का नाम	रोकड वही पृष्ठ सं0	दिनांक	राशि
1	श्रीमति श्यामप्यारी पत्नी श्री जयलाल	अटल आवास योजना	133	3.10.13	25000
2	श्री केवल राम सपुत्र श्री सेतु	राजीव आवास योजना	133	3.10.13	37500
3	श्री भगत राम स्पुत्र श्री मनु	इन्दिरा आवास योजना	133	3.10.13	37500
				योग	**100000**

18 ₹ 0.81 लाख की अनुपयुक्त राशि को वापिस करनाः–

मनरेगा निधि के माह 9/13 के वाउचार सं0 32 दिनांक 18.9.13 का अवलोकन करने पर पाया कि ₹81209 की राशि चैक संख्या 024223 दिनांक 18.9.13 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, जुब्बल–कोटखाई को वापिस लौटाई गई थी। चर्चा के दौरान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया उक्त ₹81209 की राशि विभिन्न योजनाओं की अनउपयोग राशि थी जिसे खण्ड विकास अधिकारी को वापिस किया गया जो Funding Agencies को भेजी जानी थी। पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं को समय पर पूर्ण न करने के कारण विकास के कार्य अवरूद्व हुये तथा जनमानस को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ा। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भविष्य में पंचायत को विकास योजनाओं हेतु जो राशि प्राप्त होगी उसे समय पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यो हेतु प्राप्त राशि को वापिस Funding Agencies को न भेजना पड़े।

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12(1)
3	खाता बहियाँ(Ledger Accounts)	7	29(1)
4	क्लासीफाइड अबस्ट्रैक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध मॉग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

7	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई रजिस्टर (केवल स्थाई रजिस्टर तैयार किया गया है परन्तु उसे मदवार तैयार करके पूर्ण नहीं किया गया है तथा विभिन्न निर्माण कार्य हेतु पत्थर खरीदे गए परन्तु उनकी प्रविष्टि नहीं की गई)	25 व 26	72(1)(ए0)व 72(1)(बी0)
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी0)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकि स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
12	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103

20 विविधः–

(क) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कई बार इस प्रकार का भुगतान नगद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीदें/पावतियॉ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नगद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण दिखाई जाए। भविष्य मे उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंक्ति किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कडाई से पालन किया जाये।

(ग) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान उक्त समिति ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, परन्तु उक्त समिति द्वारा कोई भी बिल/वाउचर/मस्ट्रोल को सत्यापित नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि के समस्त बिल/वाउचर/मस्ट्रोल को प्रतिभागी समिति से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपानला से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपति विवरणिकाः— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई

22 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव एवं सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 53/2016—खण्ड—1—2105—2108 दिनाँकः 10.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत झाल्टा, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881